

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक :- मुसप्र/2013/ 34

दिनांक :- 5/4/2013

कार्यालय आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर के अधीन आवासीय योजना बालोतरा के अनिस्तारित आवासों को नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नीलामी हेतु उपलब्ध आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ग	उपलब्ध आवास	आवास संख्या
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	26	3/43, 3/35, 4/167, 4/176, 4/191, 4/203, 4/205, 4/208, 4/221, 4/233, 4/268, 4/148, 4/156, 4/181, 4/260, 4/261, 4/266, 3/51, 4/146, 4/149, 4/152, 4/154, 4/161, 4/164, 4/210 A, 4/286
2.	अल्प आर वर्ग	10	2/280, 3/157, 4/70, 4/77, 4/80, 4/103, 4/104, 4/129, 4/303, 4/314
3.	मध्यम आर वर्ग (अ)	19	2/202, 3/119, 3/105, 3/114, 3/120, 4/338, 3/193, 2/193, 3/102, 3/103, 3/176, 3/111, 3/191, 3/197, 4/335, 4/339, 4/349, 4/353, 4/360
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	1	3/136
5.	उच्च आय वर्ग	3	3/199, 3/202, 4/32
	कुल मकान	59	

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राज.आ.मं., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सम्बन्धित को ईमेल करें।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक